प्रेस नोट 04/09/2020

04 शातिरों के विरुद्ध की गयी एनएसए की कार्यवाही–

दिनांक 16.12.2019 को थाना दक्षिणटोला क्षेत्रान्तर्गत सीएए/एनआरसी विरोध प्रदर्शन के दौरान हुये आगजनी व तोड़फोड़ मामले में जिला करागार में निरुद्ध 04 शातिर अभियुक्तों के विरुद्ध एनएसए की कार्यवाही की गयी है जिनका विवरण निम्नवत है–

1. आसिफ चंदन उर्फ मो0 आसिफ पुत्र एकलाख निवासी मिर्जाहादीपुरा थाना दक्षिणटोला मऊ। (जिलाध्यक्ष मऊ एआईएमआईएम)
2. अनस पुत्र रिजवान निवासी मलिक ताहिरपुरा थाना कोतवाली मऊ।
3. आमिर होंडा पुत्र शकील अहमद निवासी भिखारीपुर खीरीबाग थाना कोतवाली मऊ।
4. फैजान पुत्र मुनव्वर रजाई निवासी लक्ष्मीपुरा थाना दक्षिणटोला मऊ।

जिला मजिस्ट्रेट मऊ द्वारा दिनांक 03.09.20 को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत निरुद्धी आदेश पारित किया गया जिसका तामीला दिनांक 03.09.20 को मऊ पुलिस द्वारा जिला कारागार में कराया गया।

एक अदद अवैध तमंचा व कारतूस के साथ एक व्यक्ति गिरफ्तार–

थाना चिरैयाकोट पुलिस द्वारा दिनांक 03.09.2020 सायंकाल देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान जरिये मुखबिर की सूचना पर रामनवल डिग्री कालेज के पास से भोलू नट पुत्र लंगड़ नट निवासी रसूलपुर रौजा थाना चिरैयाकोट मऊ के कब्जे से एक अदद अवैध तमंचा 315 बोर व एक जिंदा कारतूस 315 बोर बरामद कर गिरफ्तार किया गया। इस सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर उक्त अभियुक्त के विरुद्ध मु0अ0सं0 206/20 धारा 3/25 आयुद्ध अधि0 का अभियोग पंजीकृत कर चालान न्यायालय किया गया।

गैंगेस्टर एक्ट में वांछित अभियुक्त सहित कुल 05 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार–

थाना दोहरीघाट पुलिस द्वारा आज दिनांक 04.09.20 को देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान जरिये मुखबिर की सूचना पर रोडवेज घोसी के पास से मु0अ0सं0 425/20 धारा 3(1) गैं0 एक्ट में वांछित अभियुक्त मो0 सलाम पुत्र इश्तियाक निवासी लालगंज कस्बाटोला थाना बड़हलगंज गोरखपुर को गिरफ्तार किया गया।
थाना कोतवाली पुलिस द्वारा सलाहाबाद मोड़ के पास से मु0अ0सं0 475/20 धारा 147,148,323,504,506, 336,308 भादवि में वांछित अभियुक्तगण याकूब पुत्र निषाद, युसुफ पुत्र सब्बीर अहमद व निसार पुत्र अब्दुल माजिद निवासीगण अलीनगर थाना कोतवाली मऊ को गिरफ्तार किया गया।
साथ ही साथ थाना दोहरीघाट में पीआरवी 112 द्वारा चोरी की आरोप में पंकज सिंह पुत्र त्रिभुवन सिंह निवासी नवापुरा थाना घोसी को थाना स्थानीय पर सुपुर्द किया गया। इस सम्बन्ध में उक्त के विरुद्ध मु0अ0सं0 399/20 धारा 380,511 भादवि पंजीकृत कर चालान न्यायालय किया गया।

30 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ एक व्यक्ति गिरफ्तार–

थाना कोपागंज पुलिस द्वारा आज दिनांक 04.09.20 को देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान अलीपुर भठ्ठा के पास बृजलाल पुत्र फगुआ निवासी लोहरदगा झारखंड के कब्जे से 30 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद कर गिरफ्तार किया गया। इस सम्बन्ध में उक्त के विरुद्ध अर्न्तगत धारा 60 आबकारी अधि0 का अभियोग पंजीकृत कर चालान न्यायालय किया गया।

शांति भंग की आशंका में 20 व्यक्ति गिरफ्तार–

जनपद के विभिन्न थानों द्वारा आज दिनांक 04.09.20 को देखभाल क्षेत्र के दौरान, थाना घोसी पुलिस द्वारा शाशिकांत निवासी अरियासो, अजय कुमार, तीरथ राजभर, सूरज, आसिफरजा निवासीगण बड़ागांव, लालधर, सुमेर, केदार चौहान, जालंधर, विरेन्द्र, इंदल, रमाकांत निवासीगण प्यारेपुर थाना घोसी, थाना कोपागंज पुलिस द्वारा राजेश्वर मौर्या, राजनाथ निवासीगण कसारा थाना कोपागंज, थाना कोतवाली पुलिस द्वारा वैश अहमद निवासी रघुनाथपुरा, फैयाज अहमद, अजहर, सेराज अहमद, सनाउल्ला निवासीगण छित्तनपुरा थाना कोतवाली व थाना सरायलखंसी पुलिस द्वारा रामलाल निवासी डुमरांव थाना सरायलखंसी मऊ को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया।